उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या-183/2015/971/38-1-2015-11 टी0आर0/2013
लखनऊ: दिनांक: 22 मई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-162/2015/928(3)/38-1-2015-11 टी0आर0/2013, दिनांक 16.05.2015 द्वारा श्री रमाकान्त तिवारी, जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ का जिला विकास अधिकारी, जौनपुर के पद पर किया गया स्थानान्तरण सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उमा कान्त मिश्र
उप सचिव

संख्या-183/2015/971(1)/38-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, वाराणसी/इलाहाबाद ।
(4) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर/प्रतापगढ़।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर/प्रतापगढ़।
(6) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।